उत्तर:

एक **प्रतिनिधिक लोकतंत्र** के रूप में, भारत सरकार एक **संसदीय प्रणाली,** जहाँ **कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है**, का अनुसरण करता है। **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 (3)** यह प्रावधान करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। सिद्धांत रूप में, **विधानमंडल** निम्नलिखित प्रमुख उपकरणों जैसे कि **प्रश्नकाल**, **शून्यकाल चर्चा**, स्थगन प्रस्ताव, वाद-विवाद, बजट, संसदीय समितियां आदि के माध्यम से कार्यपालिका पर **कुछ नियंत्रण रखता है**।

हालाँकि, व्यवहार में, नियंत्रण और संतुलन की यह प्रणाली विषम या अप्रभावी हो जाती है जब कार्यपालिका संसद में प्रभावी स्थिति प्राप्त कर लेती है:

- **विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समितियों (DRSCs) को दरकिनार या नजरअंदाज करना: विधेयकों के काफी कम अनुपात को** जांच के लिए समितियों को अग्रेषित जाता है। 15वीं लोकसभा में 71% की तुलना में 16वीं लोकसभा में केवल 25% विधेयकों के समितियों को अग्रेषित किया गया। वस्तु एवं सेवा कर जैसे महत्वपूर्ण विधेयक को भी चयन समिति को अग्रेषित नहीं किया गया था। इसकी जगह कई विधेयकों को विशेष रूप से गठित दोनों सदनों की संयुक्त समितियों को भेजा गया था क्योंकि उसके अध्यक्ष सत्ताधारी दल से थे।
- **नियंत्रण के उपकरणों को कमतर करना:** उदाहरण के तौर पर, **आधार बिल को मनी बिल में रूपांतरित कर** दिया गया ताकि इसे लोकसभा की मंजूरी से ही पारित किया जा सके। साथ ही, COVID-19 के कारणों का हवाला देते हुए प्रश्नकाल की अनुमति नहीं दी गई। जिससे एक सांसद के लिए कार्यपालिका पर पूछताछ के माध्यम से विधि और शासन के मुद्दों पर जनता का ध्यान आकर्षित करना मुश्किल होगा।
- **जल्दबाजी में विधेयक पारित करना:** विधेयकों को सदन में **न के बराबर या न्यूनतम चर्चा** के साथ और **ध्वनि मत** से पारित कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, बजट सत्र को अचानक देशव्यापी तालाबंदी के कारण संक्षिप्त कर दिया गया और लोकसभा ने वित्त विधेयक 2020 को बिना किसी चर्चा के मिनटों में पारित कर दिया।
- **अनुशासन और शिष्टाचार: अवरोध और व्यवधान की घटनाओं** में वृद्धि हुई है और एक प्रभुत्वशाली कार्यपालिका को अक्सर सदन की कार्यवाही को बाधित करते हुए देखा गया है। 16वीं लोकसभा ने अपने निर्धारित समय का 16% व्यवधानों के कारण व्यर्थ कर दिया, जबकि राज्यसभा ने अपने निर्धारित समय का 36% व्यर्थ किया।
- **अध्यादेश के माध्यम से विधान:** एक प्रभुत्वशाली कार्यपालिका वाली संसद में आम तौर पर बिल पर चर्चा और **बैठकों की संख्या कम** होती है और अध्यादेश के माध्यम से विधि निर्माण तेजी से होता है। उदाहरण के लिए, नागरिकता अधिनियम, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, कृषि कानून, मोटर वाहन अधिनियम आदि में संशोधन से पहले अध्यादेश लागू किया गया था।

संसदीय निरीक्षण को सुदृढ़ करने के लिए, संसद को स्वयं से बैठक आहूत करने की अनुमति दी जानी चाहिए तथा विपक्ष की भूमिका को मजबूत करना चाहिए। साथ ही, बहस से संबंधित संसद की प्रक्रिया के नियमों को संशोधित किया जाना चाहिए और समिति प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए।

8. Judicial Activism is not an aberration but an essential aspect of the dynamics of a constitutional court. Discuss in the context of Indian Judiciary. (150 words) 10

न्यायिक सक्रियता विपथगमन नहीं है बल्कि संवैधानिक न्यायालय की गतिशीलता का एक अनिवार्य पहलू है। भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

दृष्टिकोण:

- न्यायिक सक्रियता की अवधारणा को समझाइए।
- संक्षेप में इस बात पर प्रकाश डालिए कि क्यों एक विपथगमन के रूप में इसकी आलोचना की गई है।
- भारतीय न्यायपालिका से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता को दर्शाने के लिए तर्क दीजिए।
- उपर्युक्त बिन्दुओं के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए।

उत्तर:

न्यायिक सक्रियता **नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण और समाज में न्याय को बढ़ावा देने में न्यायपालिका द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका है।** इसका अर्थ है कि न्यायपालिका कार्यपालिका के अधिकारियों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु बाध्य करने के लिए हस्तक्षेप करती है, जैसे कि कार्यपालिका को सूखे से निपटने के लिए एक नई नीति बनाने या वाहनों के प्रदूषण पर नियंत्रण